

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3889
11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम समग्र-2 योजना

3889. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेशम समग्र-2 योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है और चॉकी पालन केंद्रों (सीआरसी), रीलिंग और बुनाई इकाइयों, सामान्य सुविधा केंद्रों और अन्य रेशम पालन अवसंरचना के लिए कितनी सहायता दी गई है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत बेंगलुरु दक्षिण जिले के लिए स्वीकृत और जारी सहायता का तालुक-वार ब्यौरा क्या है और स्वीकृत परियोजनाएं, जारी की गई निधि और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने रेशम समग्र-2 योजना के प्रभाव और चीन से आयातित शहतूत के कच्चे रेशम पर पाटन-रोधी शुल्क का कच्चे रेशम की उत्पादकता, कोकून और रेशम की कीमतों तथा जिले में रेशमपालकों, कोकून उत्पादकों और रेशम रीलर्स की आय के संबंध में आकलन किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उन्नत अवसंरचना, वित्तीय सहायता और उपयुक्त व्यापार-सुरक्षा उपायों के माध्यम से कर्नाटक के रेशमपालन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित भावी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिता)

(क): कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम मूल्य श्रृंखला में लाभार्थी-उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए सिल्क समग्र-2 योजना के तहत 235.86 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। वर्ष-वार और घटक-वार सहायता का विवरण, जिसमें चॉकी रियरिंग केंद्रों, रीलिंग और विविंग इकाइयों, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और अन्य सेरीकल्चर अवसंरचना के लिए सहायता शामिल है, अनुबंध में दिया गया है।

(ख): सिल्क समग्र-2 योजना के तहत, सेरीकल्चर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु दक्षिण जिले में वितरित/उपयोग की गई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

तालुक	केन्द्र की हिस्सेदारी	राज्य की हिस्सेदारी	कुल
रामनगर	1088.29	534.98	1623.27
कनकपुरा	2757.08	1328.89	4085.97
चन्नापट्टन	470.95	227.16	698.11
मागदी	240.41	114.63	355.04
कुल	4556.73	2205.66	6762.39

(ग) और (घ): सिल्क समग्र-2 योजना के प्रभाव का मूल्यांकन अप्रैल, 2025 में योजना स्तर पर आयोजित तृतीय-पक्ष मध्यावधि मूल्यांकन के माध्यम से किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में कच्ची रेशम की उत्पादकता में वर्ष 2020-21 में 108 कि.ग्रा./हेक्ट./वर्ष से वर्ष 2023-24 में 110 कि.ग्रा./हेक्ट./वर्ष और वर्ष 2025-26 में 114 कि.ग्रा./हेक्ट./वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय-गुणवत्ता आयात सब्स्टीट्यूट बाइवोल्टाइन कच्ची रेशम का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6,783 MT से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 9,675 MT हो गया तथा वर्ष 2025-26 में 11,229 MT हो गया। मूल्यांकन रिपोर्ट में कर्नाटक सहित रेशम उत्पादन हितधारकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आय स्तर में सुधार की भी सूचना दी गई है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक में कोकून और कच्ची रेशम की कीमतों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। चीन से आयातित मलबरी कच्ची रेशम पर एंटी-डंपिंग शुल्क दिसंबर, 2020 तक लागू रहा। वर्तमान में, एंटी-डंपिंग शुल्क लागू नहीं है। हाल के वर्षों के दौरान उपलब्ध बाजार रुझान के आंकड़े घरेलू स्तर पर उत्पादित कोकून और कच्ची रेशम के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के संकेत देते हैं।

(ङ): रेशम उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 2 क्षेत्रीय सेरीकल्चर अनुसंधान स्टेशनों (RSRS) और 4 अनुसंधान विस्तार केंद्रों (REC) के साथ केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (CSR&TI), मैसूर की स्थापना की है; 5 बेसिक सीड फार्म (BSFs), 7 सिल्कवार्म बीज उत्पादन केंद्र (SSPC) और एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा के साथ राष्ट्रीय सिल्कवार्म बीज संगठन (NSSO), बेंगलुरु; और 3 रेशम तकनीकी सेवा केंद्रों (STSC) के साथ केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CSTRI), बेंगलुरु की स्थापना की है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, सिल्क समग्र-2 के तहत 352.64 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिससे 41 मल्टी-एंड रीलिंग मशीनों, 93 स्वचालित रीलिंग मशीनों, 40 मोटराइज्ड चरखों, 143 कॉटेज बेसिनों के उन्नयन, 59 क्षेत्र विशिष्ट सिल्क हैंडलूम, 36 ट्विस्टिंग मशीनों, 48 इलेक्ट्रॉनिक जैक्वार्ड, 74 लूमों के उन्नयन, 3 वाइंडिंग मशीनों और 2 न्यूमेटिक लिफ्टिंग मैकेनिज्म (PLM) इकाइयों के लिए सहायता सहित लगभग 28,500 लाभार्थियों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत 12,789 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, और कर्नाटक के उत्पादों सहित भारतीय रेशम उत्पादों को सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (SMOI) द्वारा आयोजित सिल्क मार्क एक्सपो और अन्य प्रचार गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक के सेरीकल्चर क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिल्क समग्र-2 के तहत कर्नाटक को स्वीकृत/जारी की गई घटक-वार केंद्रीय सहायता

#	घटकों का नाम	इकाई	कर्नाटक राज्य को आवंटित/जारी किया गया (वित्त – लाख रुपए में)							
			2023-24		2024.25		2024.25		कुल	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	संख्या	70.00	1000	-	-	70	1000	140.00	2000
2	मलबरी किसान नर्सरी	एकड़	463.73	591	-	-	-	-	463.73	591
3	मलबरी सिल्क वार्म रियरिंग पैकेज 250 डीएफएल क्षमता (केवल दक्षिणी क्षेत्र) - 2 एकड़ प्लांटेशन हेतु	संख्या	1992.00	524	-	-	-	-	1992.00	524
4	मलबरी रियरिंग हाउस (1000 वर्ग फीट)	संख्या	1935.00	800	2722.50	1150	1246.5	530	5904.00	2480
5	रियरिंग इक्विपमेंट – मलबरी (250 dfls/batch)	संख्या	545.63	1350	1854.38	4765	986.25	2360	3386.25	8475
6	डिस्टिनफेक्टर्स (प्रोफिलेक्टिक मेजर्स) - मलबरी	संख्या	36.38	1350	163.45	6418	107.88	4015	307.70	11783
7	मलबरी सिल्कवार्म रियरिंग पैकेज 150 डीएफएल क्षमता- 1 एकड़ प्लांटेशन हेतु	संख्या	693.25	271	-	-	-	-	693.25	271
8	मलबरी रियरिंग हाउस (600 वर्ग फीट)	संख्या	966.88	550	1733.55	1056	767.8125	450	3468.24	2056
9	चाँकी रियरिंग केंद्र	संख्या	73.45	11	21.45	3			94.90	14

10	ग्रेनेज भवन (10000 वर्ग फुट) का निर्माण और ग्रेनेज उपकरण (मलबरी बिबोल्टिन) की प्रोक्यूरमेंट	संख्या	-	-	-	-	324.00	3	324.00	3
11	बाल श्रम को रोकने के लिए मोटर चालित चरखा	संख्या	6.90	40	-	-	-	-	6.90	40
12	मौजूदा कॉटेज बेसिन/घरेलू बेसिन इकाइयों के उन्नयन हेतु	संख्या	174.60	135	-	-	27.48	19	202.08	154
13	Multi-end रीलिंग इकाइयों की स्थापना - 10 बेसिन	संख्या	225.25	19	-	-	108.99	9	334.24	28
14	स्वचालित रीलिंग मशीन (ARM) इकाई - 120 एंड	संख्या	264.26	12	129.20	6	414.99	20	808.45	38
15	स्वचालित रीलिंग मशीन (ARM) इकाई - 200 एंड	संख्या	141.74	3	-	-	648.55	13	790.28	16
16	स्वचालित रीलिंग मशीन (ARM) इकाई - 400 एंड	संख्या	568.73	7	321.78	4	1317.05	17	2207.56	28
17	रीलिंग इकाइयों के लिए वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट की स्थापना (1.0 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता)	संख्या	9.00	1	-	-	-	-	9.00	1
18	प्यूपे प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु सहायता	संख्या	22.86	2	-	-	-	-	22.86	2
19	ट्रिबलिंग इकाइयों के लिए सहायता (480 स्पिंडल क्षमता)	संख्या	-	-	-	-	204.60	36	204.60	36
20	संशोधित क्षेत्र विशिष्ट सिल्क हथकरघा (पिट लूम)	संख्या	-	-	-	-	12.71	59	12.71	59

21	लिफ्टिंग मैकेनिज्म विद इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड (720 हुक)	संख्या	-	-	-	-	58.44	48	58.44	48
22	लूम उन्नयन जैकार्ड्स, पिर्न वाइंडिंग और अन्य उपकरणों के माध्यम से।	संख्या	-	-	-	-	6.63	74	6.63	74
23	न्यूमैटिक लिफ्टिंग मैकेनिज्म (पीएलएम) - 2 लूम इकार्ड	संख्या	-	-	-	-	0.44	2	0.44	2
24	सेक्सन रैपिंग मशीन/बॉल रैपिंग मशीन	संख्या	-	-	-	-	0.18	1	0.18	1
25	ASU मशीन और वाइंडिंग मशीन पैकेज	संख्या	-	-	-	-	0.68	3	0.68	3
26	सरकारी ग्रेनेज को मजबूत करना	संख्या	88.83	4	561.25	-	-	-	650.08	15
27	विपणन अवसंरचना - सरकारी कोकून बाजार	संख्या	101.49	20	464.25	-	-	-	565.74	42
28	सरकारी बीज फार्मों का सुदृढीकरण और उन्नयन	संख्या	-	-	356.50	-	-	-	356.50	18
29	सेरीकल्चर प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण और उन्नयन	संख्या	-	-	30.00	-	-	-	30.00	6
30	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और परियोजना प्रशासन/कार्यान्वयन लागत केंद्रीय शेयर के 2.5% तक	लगभग	205.13	-	188.90	-	150.39	-	544.43	0
	कुल		8585.08		8547.20		6453.56		23585.84	
